बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
सं०सं०–पि0व0 / छात्रवृत्ति–55–01 / 2010–510

प्रेषक,

रवि परमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द पटेल मार्ग,
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक–7-11-12

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2012–13 में "मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना" के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से वर्ष 2012 में दसवीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र / छात्राओं को मेधावृत्ति योजना के अन्तर्गत प्रति छात्र / छात्रा को 10,000 / – रू0 (दस हजार रूपये) मात्र की दर से वृत्तिका के रूप में देने हेतु कुल ₹1500.00 लाख (पन्द्रह करोड़ रूपये) मात्र की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2012–13 में मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से वर्ष 2012 में दसवीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र / छात्राओं को प्रति छात्र / छात्रा को 10,000 / – (दस हजार रूपये) मात्र की दर से वृत्तिका के रूप में देने हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–42 एवं आवंटनादेश सं0–43 दिनांक–03.09.2012 द्वारा कुल ₹2000.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है। प्रथम अनुपूरक आगणन द्वारा बजट उपबंधित शेष राशि ₹1500.00 लाख (पन्द्रह करोड़ रूपये) मात्र संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय एवं भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– कुल भारित व्यय की राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 में राज्य योजना माँग सख्या–11 के अंतर्गत आय–व्यय व्यक बजट शीर्ष "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–03–पिछड़े वर्गों का कल्याण–277–शिक्षा–0101–शिक्षा के कूट संख्या–3401 छात्रवृत्ति / वजीफा, राज्य योजना स्कीम कोड़–BCW-5461 विपत्र कोड–P2225032770101" के अधीन कुल बजट प्रावधान ₹1500.00 लाख (पन्द्रह करोड़ रूपये) मात्र से भारित होगा।

3– इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होगें।

4– यह राशि बिहार के स्थायी निवासी विद्यार्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से प्रथम श्रेणी में उत्तर्णीता के आधार पर संबंधित छात्र / छात्राओं को उपलब्ध कराया जायेगा।

5– संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के वैसे छात्र / छात्रा जो वर्ष 2012 को प्रथम श्रेणी से दसवीं की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से उत्तीर्ण हुए है का जाति प्रमाण पत्र, प्रवेश पत्र एवं अंक पत्र के जांचोपरान्त उचित पहचान कर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के आधार पर जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा एकमुश्त ₹10,000 (दस हजार रू0) मात्र का भुगतान खाता भुगतेय बैंक ड्राफ्ट / चेक / e-z pay card के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेगें। जिला कल्याण पदाधिकारी निकासी की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेगें तथा एक प्रति विभाग को उपलब्ध करायेगें।

6– राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.1998 तथा समय–समय पर वित्त विभाग / राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेगें।

7– इस राशि की स्वीकृति पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

8– स्वीकृत राशि योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अंतर्गत है।

9– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

अनु0– यथोपरि।

विश्वासभाजन

(रवि परमार) 6/11/12
सरकार के सचिव।